निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 17 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, रा0 मार्ग खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता, रा0 मार्ग खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** के माह **07/2019 से 07/2020 त**क के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर0 एन0 यादव एवं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, तथा श्री शरद चौधरी, स0ले0प0 अधि0 (तदर्थ) द्वारा दिनांक **19.08.2020 से 29.08.2020** तक श्री जगमोहन सिंह रावत, व0ले0प0 अधि0 के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भारत सिंह, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यवीर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2019 से 01.08.2019 तक श्री वी0 पी0 सिंह , ले0 प0 अधि0 के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 08/2018 से 06/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, रा0 मार्ग0 खंड, लो0नि0वि0, देहरादून** मे मार्ग/पुल का निर्माण एवं मरम्मत के कार्य

इकाई को बजट आंवटन- राज्य/केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19			586.39	554.31	4599.73	3951.82		
2019-20			29.66	717.58	2379.27	663.07		
2020-21 (07/2020 तक)			21.18	283.13	261.32	201.36		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2018-19	CRF	-	3019.00	2468.00	
2019-20	CRF		1813.43	227.32	
2020-21	0		0	0	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, रा0 मार्ग खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **07/2020** को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि मे अधिक व्यय के आधार पर "**Construction of 2-lane RoB of LC No- 507**" का चयन किया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,
b. 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ...12.11.2019... से .12.11.2019... का निरीक्षण किया गया।

3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी माह **प्रक्रिया गत** तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी माह **प्रक्रियागत** तक की गयी।

4. फार्म-51 माह **03/2019** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है : .

भाग प्रथम:..रु 386328.00

भाग दितीय: रु 119320.00

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **07/2020** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु 1253178.00

(ख) सामग्री क्रय : 0.00

(ग) नगद परिशोधन : 0.00

(घ) निक्षेप : रु 244711889.00

(ङ) भंडार : - रु 985491.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 : विस्तृत आगणन के प्रावधानों के विपरीत न केवल कार्य का निष्पादन किया जाना अपितु वित्तीय नियमो की अवहेलना करते हुये वित्तीय स्वीकृति से रु 326.81 लाख अधिक का व्यय किया जाना।

As per Financial Handbook Volume-VI

Clause 316 (2) Revised –When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed, the amount administratively approved for it by more than 10 per cent, or where there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items, revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

317- Expenditure sanction means the concurrence of the Government to the expenditure proposed, in cases where this is necessary . In all other cases the act of appropriation or re-appropriation of funds (See paragraph 319) will operate as sanction to the expenditure concerned. The duty of obtaining expenditure sanction where necessary , rests with the department requiring the work. Any excess over the amount to which expenditure sanction has been given requires revised expenditure sanction, which should be applies for though the Administrative Department concerned as soon as such an excess is foreseen. A revised expenditure sanction is necessary if the actual expenditure exceeds or is likely to exceed the amount of original sanction by more than 10 per cent, in cases where the original estimates are up to Rs. 5 (five) lakhs : and in cases of works exceeding Rs. 5 lakhs but not exceeding Rs. 10 lakhs a revised expenditure sanction will be necessary if the actual expenditure exceeds or likely to excees the original sanction by more than 5 per cent. In all other cases of works and those relating to residential buildings, any excess over the amount to which expenditure sanction has been given requires revised expenditure sanction of Government in the Finance Department

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून मे रा0 मा0 स0- 72 के किमी 156 ISBT तिराहे से हरिद्वार बाईपास मार्ग देहरादून पर 2-लेन (वाई शेप) अतिरिक्त फ़्लाइ ओवर के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु 2892.74 लाख हेतु प्रदान की गयी (अगस्त 2015) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (नवंबर 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 25/SE NH-10 /2016-17 दिनांकित 14.09.2016 रु.1961.21 लाख हेतु गठित की गयी। अनुबंध के अनुसार कार्य करने की अंतिम तिथि 13.09.2017 थी।

अधिशासी अभियंता, रा0मार्ग, लो0 नि0 वि0, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) मे पाया गया कि शासन द्वारा रु 2892.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति मे रु 2585.16 लाख की स्वीकृति सिविल कार्य हेतु की गयी थी जिसमे रु 1500.86 लाख Bridge portion हेतु, रु 460.36 लाख Approach road हेतु, रु 551.52 लाख सर्विस रोड हेतु तथा रु 72.42 लाख Misc. items on Bridge एवं approach हेतु थे। इसके अतिरिक्त रु 141.93 लाख Service Road के maintenance कार्य हेतु प्रावधानित थे। किन्तु लेखापरीक्षा की जांच मे पाया गया कि खंड द्वारा सिविल कार्य हेतु आगणित/प्रावधानित धनराशि रु 2585.16 लाख के सापेक्ष मात्र रु 1961.22 लाख की आगणित धनराशि हेतु ही निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया गया। चूंकि खंड द्वारा अनुबंध की छायाप्रति यह कहते हुये उपलब्ध नहीं कराई गई कि उक्त अनुबंध जांच हेतु शासन को प्रेषित है। अतः विस्तृत आगणन एवं अंतिम देयक (Voucher no. - 10 दिनांकित 24.02.2020) के अनुसार खंड द्वारा न केवल अनुबंधित धनराशि रु 1948.78 के कार्य के सापेक्ष कुल रु 2592.09 लाख के कार्य निष्पादित करा कर उक्त आधिक्य धनराशि का भुगतान किया गया था जबकि उक्त देयक मे Service road Misc Work on Bridge & approaches के कार्य शामिल नहीं थे। पुनः खंड द्वारा विस्तृत आगणन मे प्रावधानित DBM [1], तथा BC [2] का कार्य in-appropriate proportion मे कराया गया जिससे आवश्यकता से रु 33.52 लाख[3] अधिक लागत की Bituminous Concrete का प्रयोग करते हुये मार्ग की वास्तविक निष्पादित लंबाई मे विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। आगे अन्तिम देयक बिल के सापेक्ष भुगतानित धनराशि रु 2678.41 लाख के सापेक्ष रु 541.14 लाख अधिक का भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष फार्म-64 (जुलाई 2020) मे कार्य पर रु 326.81

---

[1] DBM की निष्पादित मात्रा के अनुसार मार्ग लम्बाई= Executed quantity/(Width of the road x Thickness)
343.18 cum/(8.14m x 0.15 m) = 281 मी0

[2] BC की निष्पादित मात्रा के अनुसार मार्ग लम्बाई= Executed quantity/(Width of the road x Thickness)
441.53cum/(8.14m x 0..05 m) = 1084मी0

[3] DBM के आधार पर मार्ग लम्बाई 281/2 मी0 हेतु आवश्यक BC की मात्रा= (मार्ग लम्बाई x मार्ग की चौड़ाई x ऊंचाई)
= 281/2 मी0 x 8.14 mi x 0.05 मी)
= 114.36/2 cum = 51.18

Thus Value of excess Qty of BC = (Executed Quantity - Required Quantity) x Rate
= (441.53 cum-57.18 cum) x रु 8722.00 = 33.52 lakh

लाख अधिक का व्यय करते हुये कुल व्यय रु 3219.55[4] लाख दर्शाया गया था जो वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे कम आगणित लागत की निविदा आमंत्रित करने के बारे मे बताया गया कि स्वीकृत लागत विभिन्न मदों (Quality control, Utility shifting, contingency) हेतु थी जिसमे से केवल सिविल कार्य के लिए ही निविदा आमंत्रित की गयीथी। जबकि service road एवं Misc work on bridge एवं approaches के कार्य न कराये जाने एवं DBM/BC के inappropriate proportion मे कार्य कराने के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि कार्य कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार एवं मानक के अनुसार किए गए तथा फार्म-64 मे वित्तीय स्वीकृति से रु 326.81 लाख अधिक के व्यय के संबंध मे बताया गया कि उक्त व्यय 15% व्ययाधिक्य के साथ आवंटित धनराशि के अंतर्गत ही है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा सिविल कार्यो हेतु उल्लेखित धनराशि रु 1961.22 की जगह रु 2585.16 था। आगे विस्तृत आगणन मे प्रावधानित सर्विस रोड एवं अन्य विविध कार्यो तथा DBM/BC के appropriate मात्रा मे प्रयोग न किए जाने हेतु कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। विस्तृत आगणन मे approach road हेतु tack coat, DBM एवं SDBC की मात्रा क्रमश: 5630 sqm, 845 cum एवं 141 cum के अतिरिक्त Service road हेतु tack coat, DBM एवं SDBC की मात्रा क्रमश: 26831 sqm, 1604 cum एवं 709 cum भी प्रविधानित की गयी थी जिसका execution अंतिम भुगतान बिल मे परिलक्षित नहीं था। खंड द्वारा वित्तीय स्वीकृति से रु 326.81 लाख आधिक्य की स्वीकृति से संबन्धित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः खंड द्वारा विस्तृत आगणन के प्रावधानों एवं मानको के विपरीत न केवल कार्य का निष्पादन किया गया अपितु अन्तिम देयक बिल के सापेक्ष भुगतानित धनराशि रु 2678.41 लाख के सापेक्ष रु 541.14 लाख अधिक तथा वित्तीय नियमो के विपरीत वित्तीय स्वीकृति से रु 326.81 लाख अधिक धनराशि के व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

---

[4] रु 1821.80 लाख + रु 1397.75 लाख = रु 3219.55 लाख

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर –2 बिना वन विभाग की अनुमति एवं उचित सर्वेक्षण किए रु 388.61 लाख स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करने के फलस्वरूप कार्य के Scope में रु 87.14 लाख की कमी करना।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 123 के किमी0 19 में एकलब्य विद्यालय सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च 2019 में रू0 388.61 लाख की प्रदान की गयी एवं इतनी ही धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तद् दिनांक को जारी की गयी थी।

राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, देहरादून की लेखापरीक्षा माह अगस्त 2020 में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु माह जुलाई 2019 में अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया किन्तु माह अगस्त 2019 में वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हवाला देते हुये कार्य रुकवा दिया गया। खण्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की सहमति नही ली गयी एवं न ही वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -VI के प्रस्तर 378 के प्रावधानों का पालन किया गया जिसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि पर निर्माण करने की सहमति होनी चाहिये। खण्ड द्वारा यदि विस्तृत आगणन बनाने से पूर्व कार्यस्थल का वास्तविक रूप से सर्वे एवं डिजाइन तैयार किया गया होता तो ऐसी स्थिति न आती। खण्ड द्वारा दिनांक 13/09/2019 को वन विभाग के साथ सर्वे किया गया तत्पश्चात् वन विभाग द्वारा सहमति न देने पर खण्ड द्वारा कार्य के मद एवं मात्राओं को घटाने के बाद सीमित मात्रा में कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया।

खण्ड द्वारा रिटेनिंग एवं ब्रैस्ट वाल की लम्बाई एवं ऊँचाई कम की गयी एवं wire crate gabion structure कम करने पड़े जिसके कारण रू0 82.46 लाख के कार्य का scope कम करना पड़ा एवं रू0 4.67 लाख के अतिरिक्त मद निष्पादन का प्रस्ताव तैयार करना पड़ा अर्थात् कुल रू0 87.14 लाख के कार्य घटाने–बढ़ाने पड़े। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार change of scope of work यदि होता है तो मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) उत्तराखण्ड की सहमति पर राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की सहमति लेनी होती है किन्तु मुख्य अभियन्ता की सहमति से बचने हेतु खण्ड द्वारा change of scope को variation एवं Extra Item का नाम देकर अनुमति मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से ली गयी। लेखापरीक्षा तिथि तक रू0 24.00 लाख के कार्य ठेकेदार द्वारा किए जा चुके थे किन्तु भुगतान खण्ड स्तर पर लम्बित था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार किया गया कि इस कार्य के सापेक्ष गठित अनुबन्ध के विरुद्ध लगभग रू0 87.00 लाख की बचत सम्भावित है। स्पष्ट था कि आगणन बनाने

के पूर्व कार्यस्थल का सर्वे एवं वास्तविक हालात देखे बिना ही आगणन तैयार किया गया जिससे वन विभाग से विवाद हुआ साथ ही कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक बिलम्ब हुआ एवं कार्य का scope भी कम करना पड़ा।

अत: बिना वन विभाग की अनुमति एवं उचित सर्वेक्षण किए रु 388.61 लाख स्वीकृत धनराशि के कार्य प्रारम्भ करने के फलस्वरूप कार्य के scope में रु 87.14 लाख की कमी करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 कार्य समाप्ति तिथि व्यतीत होने के उपरांत भी ठेकेदार के बिल से liquidated damages की वसूली नही किया जाना।

रा0मा0सं0 – 334 ए के पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग के कि0मी0 15.00 से 61.00 में पेव्ड शोल्डर से इण्टरमीडिएट/2 लेन चौड़ीकरण का कार्य (स्वी0 लागत रू0 9249.01 लाख)।उक्त कार्य की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक NH-12014/23/2017/UR/NH-II dt 08.11.2017 द्वारा रू0 9249.01 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मंत्रालय के पत्रांक Dated : 08.11.2017 द्वारा प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की निविदा अधीक्षण अभियन्ता, 10वॉ रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 4733/13 याता0–रा0मा0–10/2018 दिनांक 12.09.2018 द्वारा आमंत्रित की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु M/s Raj Shayama Construction Pvt. Ltd. Ghaziabad के साथ अधीक्षण अभियंता, रा॰मा॰ द्वारा अनुबंध संख्या 14/SE-NH-10/2018-19 दिनांक 29/01/2019 का गठन किया गया जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 62,84,96,890.98 एवं आगणित लागत रू0 79,90,13,843.41 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 29/01/2019 व समाप्ति की तिथि 28/07/2020 थी।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के अभिलेखों की नमूनाजांच (08/2020) में पाया गया कि उक्त कार्य निष्पादन मे जुलाई 2020 तक मात्र 42.00% की प्रगति थी जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 28/07/2020 व्यतीत हो चुकी थी। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर माइल स्टोन प्रथम 30% भौतिक प्रगति 6 माह अवधि, माइल स्टोन द्वितीय 60% भौतिक प्रगति 12 माह अवधि तथा माइल स्टोन तृतीय 100% भौतिक प्रगति 18 माह अवधि के निर्धारित किए गए थे। कार्य समाप्ति की तिथि (Date of Completion 28/07/2020) व्यतीत होने के पश्चात भी केवल 42 % कार्य (07/2020 तक) ही निष्पादित किया गया था। कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न किए जाने हेतु खण्ड द्वारा अनुबन्ध मे कार्य के निष्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में निर्धारित क्लाज के प्रावधान 'Amount of liquidated damages for Delay in completion of work –For whole of work (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day.For sectional completion (wherever specified in Item 6 of contract data) (1/200)th of initial contract price for 5 km section, rounded off to the nearest thousand, per day.Maximum limit of liquidated damages for delay in completion of work – 10% of the initial contract price rounded off to nearest thousand.' के बावजूद कार्य निष्पादन में निर्धारित माइलस्टोन समय से प्राप्त नही किये जाने पर भी ठेकेदार के बिल से liquidated damages की कटौती नही की गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य समय से न पूर्ण करने के पीछे जनपद हरिद्वार में खनन पर प्रतिबंध होने के कारण निर्माण सामग्री उपलब्ध नही हो पायी, आबादी क्षेत्रों में स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा भूमि सम्बन्धी विवाद, निर्माणाधीन सतह पर कुछ मार्गो में विद्युत पोलो से अवरोध एवं कोविड–19 महामारी के कारण ठेकेदार से कोई अर्थदण्ड नही काटा गया यदि भविष्य में बिना किसी ठोस कारण से **कार्य** में बिलम्ब होगा तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अत: कार्य समाप्ति तिथि व्यतीत होने के उपरांत भी ठेकेदार के बिल से Liquidated Damages की कटौती न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
20/2003-04	1	-
44/2004-05	-	2a,2b
02/2006-07	1	-
09/2007-08	-	1
33/2008-09	-	3
12/2011-12	1,2	-
47/2012-13	-	1,2,3
57/2015-16	-	3,5,6,7
35/2017-18	-	1,2,3,4
34/2018-19	1	1,2,3
34/2019-20	-	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, रा0 रा0 मार्ग खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जीत सिंह रावत	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	अवधि
श्री खुशाल सिंह राणा	01.08.2019 से 19.08.2019
श्री सुनील निगम	19.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, रा0 रा0 मार्ग खंड, लो0 नि0 वि0, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/(AMG-II) को प्रेषित कर दी जाये।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)